राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांकः रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/रा.न्या.से./सिविल न्या.संवर्ग/2019/04 दिनांकः–02.01.2019

–:संशोधित विज्ञापनः–

राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 में हुए संशोधन दिनांक 27.12.2018 के अनुसरण में, इस कार्यालय द्वारा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/रा.न्या.से./सिविल न्या. संवर्ग/2018/789 दिनांक 15.11.2018 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः

1. वर्ष 2019 के सामान्य प्रवर्ग के पदों की संख्या 58 के स्थान पर 57 की जाती है तथा 01 पद अति पिछड़ा प्रवर्ग हेतु आरक्षित किया गया है।
2. **आयुः** आवेदक 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर चुका होना चाहिए, लेकिन बेंचमार्क निःशक्तताओं वाले आवेदकों को ऊपरी आयु सीमा में, सामान्य प्रवर्ग के आवेदकों को 10 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 13 वर्ष और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को 15 वर्ष की शिथिलता प्रदान की जाती है।
   I. अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में पूर्ववत् नियमानुसार शिथिलता प्रभावी रहेगी।
   II. ऊपर वर्णित विज्ञापन में मद संख्या 4 (2) विलोपित की जाती है।
   III. निःशक्त आवेदकों को ऊपरी आयु में शिथिलता केवल एक ही वर्ग में अनुज्ञेय होगी।
3. **महत्वपूर्ण तिथियांः** ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लिंक दिनांक 15.01.2019 को रात्रि 11:59 बजे तक तथा ऑनलाइन फीस भरने हेतु दिनांक 16.01.2019 रात्रि 11:59 बजे तक सक्रिय रहेगा।
4. **नोटः–**
   (i) अति पिछड़ा प्रवर्ग के ऐसे आवेदक जिन्होंने ऊपर वर्णित विज्ञापन के अनुसरण में पूर्व में अपना ऑनलाइन आवेदन अन्य पिछड़ा वर्ग में किया है, वे अपने ऑनलाइन आवेदन में भरे गये वर्ग/श्रेणी में, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तक संशोधन/परिवर्तन कर सकेंगे।
   (ii) आवेदक के बच्चों की कुल संख्या की गणना में, ऐसी संतान जो पूर्व के प्रसव से जन्मी हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो, को शामिल नहीं किया जायेगा।
   (iii) कोई आवेदक, ऐसा पुनर्विवाह करता है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पहले नियम 12(e) के अंतर्गत नियुक्ति हेतु निरर्हत नहीं था, वह ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव से पैदा हुई संतान के कारण निरर्हत नहीं होगा।
   (iv) पूर्व में जारी विज्ञापन में वर्णित अन्य सभी शर्तें एवं पदों की संख्या पूर्ववत् रहेंगी।

02.1.2019
रजिस्ट्रार (परीक्षा)